न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : (31/19) 354/2019

वादीः– **बनाम** **प्रतिवादीगणः–**

1. सुशीलकुमार पुत्र मंघाराम
जाति–प्रजापत कुम्हार,
निवासी–कुम्हारों का बास, पाटवा,
तहसील जैतारण जिला–पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजूः.15/02/2019**

उपस्थितः– 1. श्री सुनील प्रजापति, अधिवक्ता वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 20/01/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–पाटवा, पटवार हल्का पाटवा भू अभिलेख क्षेत्र बैड़कल्ला तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में खसरा संख्या 181 रकबा 12–12 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि जमीन स्थित है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा आता है। जिसका वादी शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी को बचपन में लाड व प्यार से सुरेश के नाम से पुकारा जाता था इस कारण से जब वादी 07 साल का था उस समय उसके पिता मंघाराम ने उक्त कृषि भूमि वादी के लाड प्यार के नाम सुरेश के नाम से खरीद की थी इस वजह से राजस्व रेकर्ड में भी वादी का नाम सुरेश पुत्र मंगाराम कौम प्रजापत दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि वादी का नाम पहचान–पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजात में सुशील कुमार पुत्र मंघाराम दर्ज है जो ही नाम सुशील कुमार पुत्र मंघाराम उसका सही व वास्तविक नाम है। समस्त दस्तावेजात में सुशील कुमार नाम दर्ज होने से तथा इसी नाम से अपने समस्त कार्य सम्पन्न करता है। लेकिन वादी के राजस्व सम्बन्धी दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सुरेश गलत रूप से दर्ज है जो कि एक रोंग एन्ट्री है। जिसके स्थान पर सुशील कुमार नाम का इन्द्राज करवाने व दुरुस्ती करवाने राजस्व रेकर्ड में नाम व ऐसी घोषणा पाने का वादी कानूनन अधिकारी है। इसलिये यह वाद बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी अपना किसान कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 10.02.2019 को पटवारी के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

पास गया व जमाबन्दी की नकल लेने पर रेकर्ड में सुरेश नाम दर्ज होने से सुशील कुमार के नाम का भूमि प्रमाणपत्र देने से मना करने पर व न्यायालय से सुशील कुमार के नाम का आदेश लाने का कहने पर यह वाद घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 10.02.2019 को पटवारी हल्का पाटवा द्वारा वादी को उसके नाम का भूमि प्रमाण पत्र देने से मना कर देने पर व न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर बमुकाम ग्राम बलुन्दा तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में उत्पन्न होता है। जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित है तथा वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावे में व्यक्ति किया कि ग्राम पाटवा के खसरा नंबर 181 रकबा 12-12 बीघा में दर्ज खातेदार सुरेश पुत्र मंघाराम के नाम संशोधन बाबत दर्ज राजस्व वाद की मौका जांच हेतु रूबरू मौतबरानों के मौके पर पहुंचा। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों एवं वादी के पिता से पुछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वादी का सही नाम सुशीलकुमार है तथा वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, इत्यादि दस्तावेज सुशीलकुमार नाम से बने हुए है। केवल राजस्व रेकर्ड में ही वादी का नाम सुरेश दर्ज है। उक्त नाम संशोधन बाबत ही वादी ने उक्त वाद पेश किया है। मौके पर उपस्थित मौतबरानों ने बताया कि वादी को बचपन में लाड प्यार से ही सुरेश कहते थे लेकिन वर्तमान में वादी का सही नाम सुशीलकुमार है अतः वादी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम सुरेश के स्थान पर सुशीलकुमार किया जाना उचित है। ग्रामवासियों के अनुसार सुशीलकुमार एवं सुरेश एक ही नाम होना बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी एवं जवाब वादपत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम-पाटवा, की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खसरा नंबर 181 रकबा 12-12 बीघा किस्म बारानी दोयम में सुरेश बतौर खातेदार है। वादी का कथन है कि उसको बचपन में लाड प्यार से सुरेश के नाम से पुकारा जाता था और वास्तविक नाम सुशील पुत्र मंघाराम है। तहसीलदार, जैतारण ने भी अपनें जवाब वाद-पत्र में उक्त अनुतोष प्रदान करनें की सहमति प्रदान की है। यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान में लाड-प्यार से आधे-अधुरें नाम से पुकारना एक परम्परा रही है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

तथा अधिकांश लोगों के ऐसे ही आम प्रचलित नाम हुबहू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते रहे हैं क्योंकि वास्तविक एवं पूर्ण नाम से संबंधित कोई दस्तावेजात ही नहीं होते है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे आधे-अधूरे एवं असम्मानजनक नामों को सम्मानजनक नामों से प्रतिस्थापित किए जानें के निर्देश रहे हैं। वादी के शपथपत्र, आधारकार्ड, पहचान-पत्र, राशनकार्ड एवं तहसीलदार, जैतारण के जवाब वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः सुरेश एवं सुशील एक ही व्यक्ति है जो कि मंघाराम का पुत्र है, जिसका प्रश्नगत आराजी में 1/6 वां हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अतः हम वाद-पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी-1955 अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-पाटवा, पटवार हल्का-पाटवा, भू अभिलेख क्षेत्र- बैड़कल्ला, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 181 रकबा 12-12 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज गलत प्रविष्टि **"सुरेश पुत्र मंगाराम"** के स्थान पर सही प्रविष्टि **"सुशीलकुमार पुत्र मंघाराम"** दर्ज किए जानें की घोषणा की जाती है। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/01/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीगण
2. सुशीलकुमार पुत्र मंघाराम जाति–प्रजापत कुम्हार, निवासी–कुम्हारों का बास, पाटवा, तहसील जैतारण जिला–पाली।		2. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 (31/19) 354/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री सुनील प्रजापति, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी–1955 अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–पाट्वा, पटवार हल्का–पाटवा, भू अभिलेख क्षैत्र– बैड़कल्ला, तहसील–जैतारण में खसरा नंबर 181 रकबा 12–12 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज गलत प्रविष्टि **''सुरेश पुत्र मंगाराम''** के स्थान पर सही प्रविष्टि **''सुशीलकुमार पुत्र मंघाराम''** दर्ज किए जानें की घोषणा की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदर्मे मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/01/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	/
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	05–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.04 10:57:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: